जून 2017 मासिक करेंट अफेयर्स संग्रह

राजनीतिक घटनाक्रम

निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

तेलंगाना के एक बीज निर्माता को अधिकारियों द्वारा 'निवारक निरोध' कानून के तहत हिरासत में लिया गया, क्योंकि वह गरीब किसानों को नकली मिर्च के बीज बेच रहा था। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा 'गुंडा' करार देकर तथा सामान्य कानूनी प्रक्रिया को 'अप्रभावी' और 'ज़्यादा समय' लेने वाली बताकर निवारक निरोध के तहत हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो यह गैर-कानूनी होगा।

- किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत हिरासत में रखना प्राधिकारी की व्यक्तिगत संतुष्टि पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 14,19, 21 और 22 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
- निवारक निरोध एक सांविधिक शक्ति (**statutory power**) है अतः इसका प्रयोग कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही किया जाना चाहिये।

क्या है निवारक निरोध?

- 'निवारक निरोध', राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिये हिरासत में ले सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को 'निवारक निरोध' के तहत गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त 'गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण' का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- किसी व्यक्ति को 'निवारक निरोध' के तहत केवल चार आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है: 1. राज्य की सुरक्षा, 2. सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना, 3. आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और रख-रखाव तथा रक्षा, 4. विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा।
- निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद-19 तथा अनुच्छेद-21 के तहत प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ प्राप्त नहीं होंगी।

चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता का प्रश्न

सरकार द्वारा जन प्रतिनिधित्व कानून एवं कंपनी अधिनियम में कुछ संशोधन किये गए हैं। इसके अनुसार राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड (election bond) के माध्यम से चंदा लेने की छूट दी गई है और कॉर्पोरेट कंपनियों से प्राप्त होने वाले राजनीतिक चंदे की ऊपरी सीमा को भी खत्म कर दिया गया है।

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा- 29(**b**) की पूर्व व्यवस्था के अनुसार राजनीतिक दलों को विदेशी कंपनियों एवं सरकारी कंपनियों से चंदा लेने पर रोक है, परन्तु चुनावी बॉण्ड के माध्यम से लिये गए चंदों की रिपोर्टिंग न होने की दशा में इसका पता लगा पाना मुश्किल होगा कि उक्त दल के पास किस स्रोत से चंदे की रकम आ रही है। इस प्रकार इस दशा में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन होगा।
- इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-29(**c**) के अंतर्गत राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक के किसी भी योगदान के लिये दाताओं के विवरण से युक्त कुल वित्तीयन की रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है, परन्तु सरकार ने इस धारा में संशोधन प्रस्तुत करते हुए एक नया प्रावधान बनाया है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉण्ड के माध्यम से लिये गए चंदों का ब्योरा नहीं देना होगा। इसके बावजूद चंदे की राशि 20000 रुपए से अधिक ही क्यों न हो।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- कंपनी अधिनियम- 2013 की धारा 182(3) की पूर्व की व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा दिये जाने वाले चंदे की एक सीमा तय है, जो कंपनी के पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभांश के 7.5% से अधिक नहीं हो सकती थी। साथ ही कंपनियों के द्वारा विभिन्न दलों को दिये गए ब्योरे के अनुसार कुल चंदों का ब्योरा देने का प्रावधान था, परन्तु उक्त संशोधन से इस प्रावधान को खत्म करने संबंधी संशोधन किया गया है।
- इससे अब कंपनी को राजनीतिक दलों को दिये गए चंदों का ब्योरा नहीं देना होगा एवं कितनी भी राशि चंदे के रूप में दी जा सकेगी।

क्या है चुनावी बॉण्ड?

- चुनावी बॉण्ड केवल अधिसूचित बैंकों द्वारा ही जारी किये जा सकेंगे। ये बॉण्ड कुछ विशिष्ट मूल्य वर्ग (**Specified Denomination**) में ही होंगे।
- बॉण्ड को किसी भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल को ही दिया जा सकेगा, जिसे वे अपने अकाउंट के माध्यम से मुद्रा में रूपांतरित कर पाएंगे। यह बॉण्ड मूलतः एक बियरर बॉण्ड (**Bearer Bond**) के रूप में होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (**NDMA**) गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया तथा क्षमता निर्माण करना है।
- इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में भारत सरकार द्वारा "आपदा प्रबंधन अधिनियम" के माध्यम से की गई थी।
- प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- आपदा प्रबंधन के लिये समग्र और वितरित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये एन.डी.एम.ए. नीतियों व दिशा-निर्देशों को तैयार करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का विकास करने तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (**SDMA**) के साथ समन्वय से कार्य करता है, ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

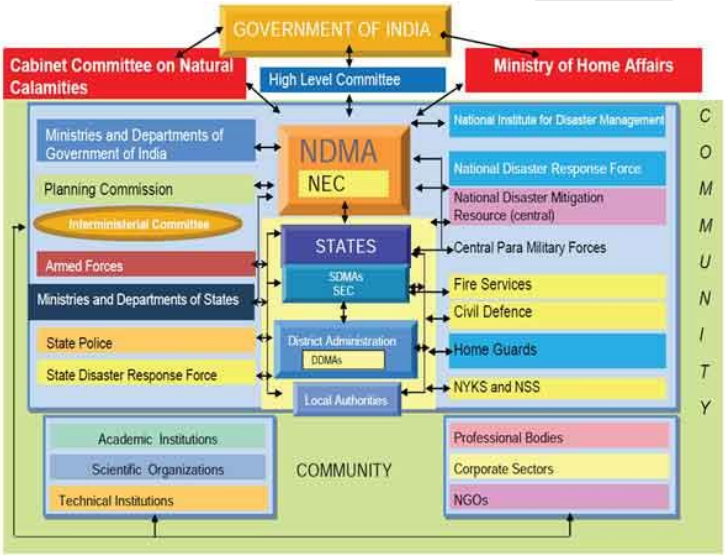

द लॉगीट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) नामक सर्वेक्षण

एल.ए.एस.आई. सर्वे के लिये मुंबई की संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पापुलेशन साइंसेज़ (IIPS) नोडल एजेंसी का कार्य करेगी। यह संस्था वृद्धजनों की विभिन्न स्वास्थ्य व सामाजिक-आर्थिक ज़रूरतों को अगले 25 वर्षों तक दर्ज़ करेगी।

- इन सूचनाओं को इकट्ठा करने के पीछे सरकार का मूल उद्देश्य वृद्धजनों से संबंधित एक वैज्ञानिक आँकड़ा तैयार करना है एवं इन सर्वेक्षणों में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है- **I.** वित्तीय पृष्ठभूमि **II.** स्वास्थ्य बीमा की वर्तमान दशा **III.** वृद्धावस्था आश्रम एवं

Copyright– Drishti The Vision Foundation

मनोचिकित्सालय में रह रहे परिवार के सदस्यों की सूचना **IV.** स्वास्थ्य दशा जिसमें मलेरिया, डायबिटीज, कैंसर एवं मनोरोग तथा महिलाओं में मीनोपॉज की दशा आदि की जानकारी शामिल होंगी।

- वर्तमान में एल.ए.एस.आई. सर्वे का वित्तीयन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार; यू.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग (**US National Institute of Ageing**) और यू.एन. नेशनल फण्ड-इंडिया (**UN National Fund-India**) के द्वारा किया जा रहा है।

WHO ने एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल को संशोधित किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इन एंटीबायोटिक दवाओं को तीन श्रेणियों में बाँटा है। यह श्रेणी निर्दिष्ट करती है कि कौन-सी दवा सामान्य बीमारियों के लिये उपयोग करनी है और कौन-सी जटिल रोगों के लिये।
एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता को रोकने के लिये डब्ल्यू.एच.ओ. ने दवाइयों को तीन श्रेणियों में बाँटा है – पहुँच (Access), निगरानी (Watch) और आरक्षित (Reserve)। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक्स 'एक्सेस' श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं।

- एंटीबायोटिक्स की दूसरी श्रेणी थोड़ी अधिक शक्तिशाली है, जिसे 'निगरानी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इनमें वे दवाइयाँ शामिल हैं, जिनका उपयोग निम्न स्तर के संक्रमित रोगों के इलाज़ के लिये पहली या दूसरी पसंद के रूप में किया जाता है।
- केवल अंतिम प्रयोग के रूप में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स को 'आरक्षित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।
- डब्ल्यूएचओ ने यह अनुशंसा की है कि 'एक्सेस' ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाइयाँ सामान्य संक्रमण वाले रोगों के इलाज़ के लिये हर समय उपलब्ध होनी चाहिये। इसमें एमोक्सिसिलिन (**Amoxicillin**) दवा शामिल है, जिसका उपयोग निमोनिया जैसे रोगों के इलाज़ के लिये किया जाता है।
- यह अनिवार्य दवाइयों की सूची (**EML**) के 'एंटीबायोटिक्स अनुभाग' में पिछले 40 वर्षों के इतिहास में सबसे बड़ा संशोधन है।

लाभ

- डब्ल्यू.एच.ओ. ने सिफारिश की है कि प्रतिरोधकता को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिये इन दवाइयों के उपयोग को कम किया जाना चाहिये।
- यह नया श्रेणीक्रम देशों को उपयुक्त जीवाणुरोधी एजेंटों (**Antibacterial Agents**) तक पहुँच सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- यह सूची दवा आपूर्ति प्रणाली के लिये एक गाइड के रूप में कार्य करेगी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देगी।
- इस प्रकार के विभाजन से यह सुनिश्चित होगा कि जिन लोगों को एंटीबायोटिक दवाइयों की ज़रूरत है, उन तक पहुँच आसान हो सके और सही एंटीबायोटिक उन्हें उपलब्ध हो सके।

बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन नियम, 2017 अधिसूचना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2 जून को बाल श्रम (निषेध और नियमन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया गया। बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 2016 में कुछ कमियाँ होने के कारण इस अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- नया कानून बाल श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (**ILO**) के सम्मेलनों की पुष्टि भी करता है।
- बच्चे अब स्कूल के बाद केवल तीन घंटे ही पारिवारिक उद्यमों में मदद कर सकेंगे।
- बच्चे सायं 7 और सुबह 8 बजे के बीच पारिवारिक उद्यमों में मदद नहीं कर सकेंगे। यह उन परिस्थितियों को भी निर्धारित करता है, जिनमें बच्चे अपने परिवारों को सहायता प्रदान करेंगे।
- बच्चे या किशोरों को एक कलाकार के रूप में एक दिन में केवल 5 घंटे और बिना आराम के 3 घंटे तक काम करने की अनुमति दी गई है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- किसी भी ऑडियो-विज़ुअल मीडिया निर्माता या किसी वाणिज्यिक व्यवसाय, जिसमें बच्चे या किशोरों की भागीदारी हो, ऐसा करने हेतु हर छ: महीने में ज़िला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- किसी भी बच्चे या किशोर को बिना उसकी इच्छा और सहमति के किसी भी ऑडियो विज़ुअल और स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिये नहीं कहा जाएगा।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन

स्मार्ट सिटी की संकल्पना, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न होती है, जो विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा, शहर के निवासियों के संसाधनों और उनकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। स्मार्ट सिटी मिशन में शहरों के मार्गदर्शन करने के लिये कुछ पारिभाषिक सीमाएँ अपेक्षित हैं।

- स्मार्ट सिटी की संकल्पना में नागरिकों की आकांक्षाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिये योजनाकार को पूरे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का इस प्रकार विकास करना होता है, जो व्यापक विकास के चार स्तंभों—संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना में दिखाई दे। यह दीर्घावधिक लक्ष्य है।
- संक्षेप में कहें तो स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र-आधारित विकास के कार्यनीतिक घटक—नगर सुधार (पुन: संयोजन), शहर का नवीकरण (पुनर्विकास) और शहर का विस्तार (हरित क्षेत्र का विकास) और पैन-सिटी (पूरे शहर) की पहल है, जिसमें शहर के अधिकांश भाग को शामिल करते हुए स्मार्ट समाधानों का उपयोग किया जाता है।
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत 2015-16 से 2019-20 के बीच 100 से अधिक शहरों को 'स्मार्ट' बनाने का सरकार का लक्ष्य है।
- स्मार्ट सुविधाओं की लंबी सूची में से कुछ हैं—ई-प्रशासन तथा इलेक्ट्रॉनिक सेवा आपूर्ति, कैमरों के माध्यम से अपराधों की निगरानी, जलापूर्ति प्रबंधन के लिये स्मार्ट मीटर, स्मार्ट पार्किंग तथा यातायात का स्मार्ट प्रबंधन।

क्या हैं नियम कायदे?

- पाँच साल के मिशन की अवधि में केंद्र सरकार प्रत्येक स्मार्ट सिटी को 500 करोड़ रुपए देगी, जबकि राज्य और स्थानीय निकाय इतनी ही धनराशि का प्रबंध करेंगे तथा शेष धनराशि की व्यवस्था निजी कंपनियों तथा अन्य स्रोतों से की जाएगी।
- लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व निर्धारित क्षेत्र आधारित विकास के अलावा इस पूंजी का प्रयोग और पैन सिटी अवसंरचना को सुधारने के लिए नहीं किया जा सकता।
- पैन सिटी घटक के तहत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के किसी एक विशेष पक्ष के लिये प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सकता है।
- दरअसल, स्मार्ट सिटी के नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरे शहर का विकास करने के बजाय चुने हुए शहरों में पहले ही से विकसित क्षेत्रों में और धन खर्च कर उनका और विकास किया जाए।

नया श्रम सर्वेक्षण

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एक सामयिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है। जिसके तहत श्रम बल से संबंधित डाटा तैयार किया जाएगा। इसका पहली बार प्रकाशन दिसंबर 2018 से किया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस प्रकार का डाटा शहरी क्षेत्र के लिये त्रैमासिक और ग्रामीण क्षेत्र के लिये वार्षिक आधार पर बनाया जाएगा। यह सर्वेक्षण न केवल औपचारिक क्षेत्र के बारे में बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में भी डाटा प्रदान करेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस सर्वेक्षण को वर्तमान में विद्यमान प्रणाली, जिसमें श्रम बल से संबंधित डाटा को प्रत्येक पाँच साल में उपलब्ध कराया जाता था, के स्थान पर लाया जाएगा।
- मंत्रालय आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने की तैयारी कर रहा है। आधार वर्ष में यह बदलाव 2018 के अंत में घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण और श्रमबल सर्वेक्षण पूरा होने के बाद किया जाएगा।
- सामयिक श्रम बल सर्वेक्षण में एक कम्प्यूटर असिस्टेंट पर्सनल साक्षात्कार **(CAPI)** विधि को भी अपनाया जाएगा, जिससे सटीक और समय पर जानकारी मिल सकेगी। सांख्यिकी मंत्रालय भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक 'तथ्य पत्र' **(Fact Sheet)** विकसित कर रहा है, जिसमें सभी महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों से 100 संकेतकों पर जानकारी ली जाएगी।
- सांख्यिकी मंत्रालय उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की तर्ज़ पर सेवाओं का भी वार्षिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने पर विचार कर रहा है। केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यह भारत सरकार का एक मंत्रालय है तथा इसके द्वारा किये गए सर्वेक्षण वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होते हैं।
- यह सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के विलय के बाद 15 अक्टूबर, 1999 को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया।
- मंत्रालय के पास दो विंग्स हैं, एक आँकड़ों से संबंधित तथा दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित।
- आँकड़ों से संबंधित विंग को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय **(NSO)** के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय **(CSO),** कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय **(NSSO)** शामिल है।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग के तीन प्रभाग हैं - बीस प्वाइंट कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।

एंटी-सट्टेबाजी निकाय

'एंटी-सट्टेबाजी निकाय' की स्थापना वस्तु और सेवा कर (GST) के तहत की जाएगी। इस निकाय को काफी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

- प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिये किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या 'भारतीय न्यायिक सेवा' के तहत अपर सचिव या उच्चतर स्तर के पद पर कम-से-कम तीन साल के कार्य का अनुभव होना चाहिये।
- प्राधिकरण किसी को भी "निष्पक्ष जाँच" के लिये नोटिस जारी कर सकता है।

प्राधिकरण के कार्य हैं:

- ✓ कीमतों में कमी के आदेश देना।
- ✓ जुर्माना लगाना।
- ✓ अगर कोई कंपनी उपभोक्ताओं के लिये कर की दर में कमी नहीं करती है तो उसका पंजीकरण भी रद्द कर सकता है।

- एक 'स्थायी समिति' का निर्माण किया जाएगा, जो सट्टेबाजी से संबंधित शिकायतें दर्ज करेगी। स्थायी समिति प्रथम दृष्टया शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायत को डायरेक्टर-जनरल ऑफ़ सेफगार्ड **(DGS)** के पास विस्तृत जाँच के लिये भेजेगी।
- डी.जी.एस. को स्थायी समिति से प्राप्त शिकायत के ऊपर तीन महीने के भीतर अपनी जाँच पूरी करनी होगी, लेकिन अगर तीन महीने से अधिक का समय लगता है तो इसके पीछे के कारणों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- इस प्रक्रिया की भी अधिकतम समय-सीमा तीन महीने ही तय की गई है। अत: स्पष्ट है कि पूरी प्रक्रिया में अधिकतम नौ महीने का ही समय लगेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

क्षय रोगियों के लिये आधार कार्ड की आवश्यकता

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सरकार से नकद सहायता प्राप्त कर रहे क्षय रोगियों, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाकर्मियों को 31 अगस्त तक आधार डेटाबेस के साथ पंजीकरण कराना होगा। हालाँकि, किसी भी मरीज़ के पास आधार कार्ड न होने के कारण उसे इलाज से इंकार नहीं किया जायेगा।

- यह योजना सरकार के संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) से संबंधित है।
- 2012 के बाद से सरकार ने यह आवश्यक कर दिया है कि क्षय रोग का इलाज करा रहे रोगियों को निक्षय (**Nikshay)** से पंजीकृत होना होगा।
- निक्षय (**Nikshay)** एक वेब-आधारित एप है, जिसका उपयोग प्राधिकारी वर्ग आरएनटीसीपी से जुड़े फंड, उपचार के परिणाम और स्वास्थ्य प्रदाताओं को ट्रैक करने के लिये करते हैं।
- यह राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और देश भर में पंजीकृत निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यदि रोगी आधार कार्ड नहीं प्रदान कर पाता है तो वह आधार नामांकन संख्या या आधार के लिये पंजीकरण करने का प्रमाण प्रदान कर सकता है या वह भी उपलब्ध नहीं होने पर वह पहचान के अन्य दस्तावेज़ों जैसे- मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड दिखा कर उपचार करवा सकता है।
- वर्तमान में सरकार आदिवासी रोगियों को नकद सहायता प्रदान करती हैं। इसके साथ-साथ सरकार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से प्रभावित रोगियों, निजी क्षेत्र के डॉक्टरों, जो ऐसे मामलों की रिपोर्ट करते हैं तथा रोगियों का पूरा इलाज करते हैं, जो रोगियों को दवाइयाँ लेने में सहायता करते हैं तथा डॉट्स (**DOTS)** प्रदाताओं को परिवहन भत्ता प्रदान करते है।

3rd 'स्लम युवा दौड़'

खेल मंत्रालय द्वारा दिल्ली के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के बीच 'खेल संस्कृति' को बढ़ावा देने के लिये तीसरे स्लम युवा दौड़ का आयोजन किया।

- स्लम युवा दौड़ खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा शुरू की गई 'स्लम अपनाओ अभियान' **(Adopt Slum Campaign)** का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता के बीच सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है।
- कुल 11 'स्लम युवा दौड़ ' की योजना बनाई गई है, जिसमें से 3 पहले ही बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है।

सतत् विकास के लक्ष्यों की निगरानी हेतु पैनल का गठन

केंद्र सरकार एक 'उच्च स्तरीय समिति' का गठन करने जा रही है, जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र के 'सतत् विकास लक्ष्यों' (Sustainable Development Goals) की देशभर में प्रगति पर निगरानी रखना होगा।

- 'सतत् विकास लक्ष्य' का प्रमुख उद्देश्य गरीबी समाप्त करना, असमानता से लड़ने और जलवायु परिवर्तन से निपटना है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (**UNDP)** की तकनीकी सहायता से एक 'डैशबोर्ड' को भी विकसित किया जाएगा, जो इन वैश्विक लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करने वाले तंत्र को सहायता प्रदान करेगा।
- निजी एजेंसियों द्वारा एकत्र आँकड़ों का उपयोग एस.डी.जी. की निगरानी के लिये किया जाएगा।
- भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाएगा।
- इस समिति का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर एस.डी.जी. के निगरानी तंत्र की निगरानी करना होगा।
- देश में सांख्यिकीय प्रणाली को मज़बूत करने के लिये पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन का निवेश किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- 'साँख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' द्वारा पहले ही एस.डी.जी. की प्रगति को मापने के लिये 'राष्ट्रीय संकेतकों' की सूची तैयार की जा चुकी है। इन संकेतकों को 'पब्लिक डोमेन' **(Public Domain)** में रखा जाएगा। इसके बाद प्राप्त फीडबैक के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के संकेतकों का निर्माण किया जाएगा।

सतत् विकास लक्ष्य

- इसमें 17 लक्ष्यों एवं 169 उप-लक्ष्यों को शामिल किया गया है। इन लक्ष्यों में मानव जीवन से संबंधित लगभग प्रत्येक पहलू को शामिल किया गया है।
- एस.डी.जी. समूह को वर्ष 2000 से चल रहे 'सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों' **(MDG)** के स्थान पर लाया गया है।

जिला खनिज निधि

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम-2015' 12 जनवरी, 2015 को लागू किया गया था, लेकिन कानून के तहत 'जिला खनिज निधि' (DMF) नियम सितंबर में अधिसूचित किया गया था।

- डी.एम.एफ. के मानदंडों के अनुसार खनन मालिकों को खनन नीलामी का **10%** रॉयल्टी और नीलामी शुरू होने से पहले आवंटित खानों को **30%** रॉयल्टी के रूप में भुगतान करना होगा।
- खननकर्त्ताओं द्वारा अप्रैल तक डी.एम.एफ़. में **7,000** करोड़ रुपए जमा किये गए थे**,** लेकिन कुछ खनन कंपनियों ने इस आधार पर न्यायपालिका में याचिका दायर की है कि जनवरी **2015** से विभिन्न राज्यों द्वारा डी.एम.एफ. को अधिसूचित करने तक यह कानून लागू नहीं होता है।
- डी.एम.एफ. नियमों के **'**पूर्व-प्रभावी प्रयोजनीयता**' (Retrospective Applicability)** को लेकर खनिकों को उच्च न्यायालयों ने कुछ राहत प्रदान की है**,** लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
- दस साल की अवधि में डी.एम.एफ. का संग्रह लगभग **70,000** करोड़ रुपए या इससे अधिक होने की उम्मीद है। वर्तमान में देश के **287** ज़िलों में डी.एम.एफ. ट्रस्ट का संचालन हो रहा है।
- इस रॉयल्टी का उपयोग खनन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में किया जाता है।
- उदाहरण के लिये झारखंड ने अपने डी.एम.एफ. संग्रह का अधिकांश हिस्सा ज़िले (जहाँ खानें अवस्थित हैं) में जल परियोजनाओं में निवेश करने का निर्णय लिया है।

'खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम-2015'

- विवेकाधीन अधिकारों की समाप्ति: आवंटन की एकमात्र विधि नीलामी होगी। संशोधन के तहत खनिज रियायतों की अनुमति में विवेकाधीन अधिकार समाप्त कर दिये गए हैं। सभी तरह की खनिज रियायतों की अनुमति संबंधित राज्य सरकारें देती हैं। वे अनुमति देती रहेंगी**,** लेकिन सभी तरह की खनिज रियायतों की अनुमति नीलामी के ज़रिये ही दी जाएंगी।
- खनिज क्षेत्र को प्रोत्साहन **:** दूसरे और उसके बाद नवीकरण के लिये लंबित आवेदनों के कारण खनन उद्योग में ऑपरेशन निरंतर प्रभावित हो रहा है। असल में इसके कारण बड़ी संख्या में खानें बंद हो गई हैं। संशोधन के तहत इन समस्याओं को दूर कर दिया गया है।
- प्रभावित व्यक्तियों के लिये सुरक्षा उपाय **:** विधेयक में उन सभी ज़िलों में 'ज़िला खनिज प्रतिष्ठान' **(DMF)** स्थापित करना अनिवार्य बनाया गया है**,** जहाँ खनन किया जाता है। यह लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के समाधान के लिये किया गया है।
- अन्वेषण एवं निवेश को प्रोत्साहन **:** भारतीय खनन उद्योग में अन्य देशों की तरह अन्वेषण कार्य नहीं हो रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिये राष्ट्रीय अन्वेषण न्यास की स्थापना की जाएगी। इससे अन्वेषण गतिविधियों के लिये सरकार के पास समर्पित निधि उपलब्ध हो सकेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- प्रक्रियाओं को सरल बनाना और देरी से बचना : संशोधन के तहत केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिये राज्य सरकारों को खनिज रियायतों की अनुमति देने की प्रक्रिया सरल होगी और उसमें तेज़ी लाई जा सकेगी। अवैध खनन को रोकने के लिये सख्त प्रावधान कानून के तहत अब अधिकतम **5** वर्ष की जेल या **5** लाख रुपए प्रति हेक्टेयर जुर्माना लगाया जा सकेगा। राज्य सरकारों को अवैध खनन के मुकदमों को तेज़ी से निपटाने के लिये विशेष अदालतें स्थापित करने के अधिकार दिये गए हैं।

कन्याश्री योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ लोक सेवा पुरस्कार

पश्चिम बंगाल सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह पुरस्कार पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री प्रकल्प योजना के तहत बाल विवाह से निपटने और राज्य में लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करने की ज़ोरदार पहल के लिये दिया है।

कन्याश्री योजना

- यह पश्चिम बंगाल सरकार की एक बालिका छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत सरकार **18** वर्ष की आयु में पहुँचने पर बालिका को **25,000** रुपए की वित्तीय सहायता देती है।
- सरकार **18** वर्ष की आयु तक की बालिकाओं को सालाना छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा में महत्त्वपूर्ण सुधार करना है और विशेष रूप से उन लड़कियों की, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों से संबंधित हैं।

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार

- संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दुनिया के संस्थानों को सार्वजनिक सेवाओं में नवप्रवर्तन और उत्कृष्टता के लिये दिया जाता है।
- यह सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन में सार्वजनिक सेवाओं की प्रमुख भूमिका को रेखांकित करता है।
- सार्वजनिक सेवा में नवाचारों और सेवाओं में उत्कृष्टता की पहचान करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के देशों द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में दिये जाने वाले योगदान को और अधिक प्रभावी बनाना है।
- उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष **23** जून को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है।

जेल-बंदियों को कानूनी सेवाएँ देने के लिये वेब एप्लीकेशन लॉन्च

भारतीय विधि संस्थान में आयोजित सम्मेलन में नाल्सा ने जेल बंदियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएँ देने के लिये वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है।

- वेब एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्राधिकार के जेलों में प्रत्येक बंदी से संबंधित आँकड़े तैयार करेंगे, ताकि अदालत में वकील के ज़रिये उनका प्रतिनिधित्व किया जा सके।
- इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैदियों की कुल संख्या, बिना वकील वाले कैदियों की कुल संख्या, कानूनी सेवा अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त बंदियों की संख्या और अपने निजी वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त कैदियों की संख्या का पता लग जाएगा।
- यह वेब एप्लीकेशन कानूनी सेवा प्रणाली को और पारदर्शी बनाएगा और कहीं से भी सभी सक्षम पदाधिकारी कैदियों को दी जाने वाली कानूनी सहायता की अनुमति पर नज़र रख सकेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अदालत में पेशी के पहले दिन से सभी बंदियों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-**22** में उपबंध है कि प्रत्येक आरोपी को बचाव का मौका दिया जाएगा। इसके तहत अदालत का यह दायित्व है कि जब भी कोई आरोपी अदालत में पेश हो तो वह उससे पूछे कि क्या कानूनी मदद चाहिये**?** इसके बाद अदालत आरोपी को सरकारी खर्चे पर वकील मुहैया कराती है।
- ऐसे वकील को एमिकस क्यूरी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि कैदियों को अनुच्छेद **14,19** और **21** में दिये गये मौलिक अधिकार प्राप्त करने के अधिकार हैं।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की शुरूआत

भारत में बायोफार्मास्यूटिकल्स के विकास को गति देने के लिये पहली बार औद्योगिकी-शैक्षणिक मिशन की शुरुआत की जा रही है। भारत में नवाचार-3 (I-3) नाम से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा, जिसमें 12.5 करोड़ डॉलर विश्व बैंक से क़र्ज़ के रूप में प्राप्त होगा।

- विदित हो कि भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग में काफी सक्रिय रहा है और जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण और ज़रूरतमंदों के लिये कम कीमत वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों में भारत का वैश्विक स्तर पर अहम योगदान रहा है।
- इन सभी प्रयासों के बावजूद भारत विकसित देशों की तुलना में फार्मास्यूटिकल उद्योग में 10-15 साल पीछे है और इसे चीन, कोरिया और अन्य देशों से चुनौती मिल रही है।
- इस मिशन को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायक परिषद (**BIRAC**) लागू करेगी।
- भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल्स उद्योग में इससे बड़ा बदलाव आएगा। इससे उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक परितंत्र का भी निर्माण होगा।
- बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में समेकित नवाचार सुनिश्चित करने के लिये उत्पाद खोज, अनुसंधान और शुरुआती विनिर्माण को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और भारत में आई-3 इन कमियों को दूर करेगा।
- यह भारत को प्रभावी बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों के क्षेत्र में डिज़ाइन और विकास का केन्द्र बनाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आर्थिक घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरती विकास दर

- केंद्रीय सांख्यिकी आयोग (**CSO)** ने 31 मई को सकल घरेलू उत्पाद (**GDP)** से संबंधित आँकड़े जारी कर देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की।
- आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 6.1 फीसदी पर आ गई। यह चारों तिमाहियों में सबसे कम है। हालाँकि, 6.1% की विकास दर को बनाए रखने में सरकारी खर्च और कृषि के अच्छे प्रदर्शन ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- आँकड़ों के मुताबिक, सकल मूल्य वर्द्धन (**GAV)** महज़ 5.6 फीसदी ही बढ़ा, जो दो साल के सबसे निम्न स्तर पर है। उल्लेखनीय है कि इसी दौरान चीन की विकास दर 6.9% रही।

जी.डी.पी. और जी.वी.ए. क्या है?

- सकल घरेलू उत्पाद (**GDP),** एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाज़ार मूल्य को कहा जाता है। जी.डी.पी = जी.वी.ए. + उत्पादों पर कर - उत्पादों पर सब्सिडी।
- वहीं जी.वी.ए. का प्रयोग सकल क्षेत्रीय घरेलू उत्पाद तथा छोटी इकाईयों के उत्पादों को मापने के लिये किया जाता है। इसकी गणना जी.डी.पी. से शुद्ध करों को घटाकर की जाती है।

भारत में 'उद्यम पूंजी' से बढ़ता कारोबार

डाटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, सीबी इन्साइट्स (CB Insights) की एक रिपोर्ट 'एशिया टेक इन्वेस्टमेंट' से यह अच्छी खबर सामने आई है कि 2016 में अर्थव्यवस्था में 'उद्यम पूंजी' (Venture Capital) में हुई गिरावट के बाद इस वर्ष इसमें निवेश बढ़ा है। इससें अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ने की उम्मीद है तथा स्टार्ट-अप कंपनियों के माध्यम से नए उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।

उद्यम पूंजी (Venture Capital)

- वेंचर कैपिटल, एक प्रकार की निजी इक्विटी है। यह वित्तपोषण का एक रूप है, जो फर्मों या निधियों द्वारा उन छोटी, शुरुआती तथा उभरती हुई फर्मों को प्रदान किया जाता है, जिनमें उच्च विकास की क्षमता हो तथा जिन्होंने कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में या वार्षिक राजस्व की प्राप्ति के संदर्भ में उच्च-वृद्धि का प्रदर्शन किया हो। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 1988 में भारत में उद्यम पूंजी फंड के लिये दिशानिर्देशों की घोषणा की थी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

जी.एस.टी. प्रबंधन के विभिन्न आयाम

जीएसटी कार्यान्वयन समिति की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में केंद्र और राज्यों से चार-चार अधिकारी और जीएसटी परिषद का एक अधिकारी शामिल होगा। इसके साथ ही, आठ स्थायी समितियाँ प्रस्तावित की गई हैं, वे इस प्रकार हैं- 1. कानून और नियम समिति (Law and Rules committee), 2. आई.टी. समिति (IT committee), 3. सिंगल इंटरफेस कमेटी (Single Interface committee), 4. फिटमेंट कमेटी (Fitment committee), 5. पब्लिसिटी और आउटरीच कमेटी (Publicity and outreach committee), 6. क्षमता निर्माण और सुविधा समिति (Capacity building and Facilitation committee), 7. फंड सेटलमेंट कमेटी (Fund Settlement committee), 8. गाइडेंस नोट्स कमेटी (Guidance notes committee)

- प्रत्येक समिति को अपनी क्षेत्रीय ज़िम्मेदारियों में शामिल किये जाने वाले कदमों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से लिये गए विभिन्न कदमों का एक ब्लू प्रिंट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
- इन आठ समितियों में, कानून और नियम समिति सभी नियमों को अंतिम रूप देने, गैर-टैरिफ अधिसूचनाओं का प्रारूप तैयार करने (**Drafting of Non-tariff notifications)** और कानूनी मुद्दों पर व्यापार के सभी अभ्यावेदनों की जाँच करेगी (**All representations of trade on legal issue),** जबकि आई.टी. समिति केंद्र तथा राज्यों की आई.टी. संबंधी तैयारी के साथ-साथ जी.एस.टी. नेटवर्क (**GSTN)** की निगरानी के लिये ज़िम्मेदार होगी।
- सिंगल इंटरफेस कमेटी करदाताओं की पहचान करने के लिये प्रवसन और पिछले क्रेडिट के परीक्षण के बीच समन्वय करेगी और राज्यवार समन्वय टीमों का निर्माण करेगी।
- फंड सेटलमेंट कमेटी राजस्व से संबंधित सभी मुद्दों के लिये ज़िम्मेदार होगी, जैसे जी.एस.टी. के बाद मिलने वाले मुआवज़े तथा आई.जी.एस.टी. फण्ड सेटलमेंट आदि।
- अब तक जीएसटी से संबंधित कार्य में केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की केवल दो समितियाँ थीं। एक कानून समिति थी, जिसने जी.एस.टी. कानूनों का मसौदा तैयार किया और दूसरी फीटमेंट समिति थी, जो वस्तु और सेवाओं पर जी.एस.टी. दरों की सिफारिश करने में शामिल थी।
- परिषद ने आठ क्षेत्रीय समूहों को भी मंज़ूरी दी है, जिनमें– बैंकिंग, वित्त और बीमा, दूरसंचार, निर्यात उन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों सहित, निर्यात, आईटी/आई.टी.ई.एस. (**IT enabled services)**, परिवहन और लॉजिस्टिक (**Transport and Logistic)**, एम.एस.एम.ई. आदि क्षेत्रों में क्षेत्रीय विश्लेषण करेंगे।

जी.एस.टी. परिषद

- वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिये कर की दर को तय करने का मुख्य कार्य परिषद का होगा।

डाटा संरक्षण कानून

सरकार नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक नया 'डाटा संरक्षण कानून' बनाने पर विचार कर रही है तथा साथ ही सार्वजनिक डेटा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये भी एक सक्षम ढाँचा तैयार कर रही है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MET)** 'डाटा संरक्षण कानून' बनाने पर काम कर रहा है। मंत्रालय इस मुद्दे पर "क्रॉस-फंक्शनल कमेटी" स्थापित करेगा।
- यह एक उच्च स्तरीय कमेटी होगी, जो इस कानून से संबंधित सभी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-43**A** के तहत डाटा संरक्षण हेतु उचित दिशा-निर्देश दिये गए हैं, लेकिन यह धारा नाममात्र का संरक्षण प्रदान करती है।
- कुछ व्यावसायिक संस्थानों द्वारा व्यक्तिगत डाटा के दुरुपयोग को 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2015' के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है।

गोपनीयता (PRIVACY)

गोपनीयता एक मौलिक मानवाधिकार है। इसे मानव अधिकारों की 'सार्वभौमिक घोषणा' में मान्यता प्राप्त है। भारत ने 'संयुक्त राष्ट्र के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा' को मंज़ूरी दी है, जिसमें गोपनीयता की रक्षा के लिये प्रावधान है।

सेबी ने 'कमोडिटी ऑप्शन' के लिये ट्रेडिंग नियम निर्धारित किये

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिये कमोडिटी एक्सचेंजों को मंज़ूरी दी। यह नियामक ढाँचा सेबी बोर्ड के कमोडिटी ऑप्शन को मंजूरी देने के लगभग दो महीने बाद आया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह भी सुनिश्चित किया गया कि ऐसे अनुबंध केवल उन वस्तुओं पर पेश किये जा सकते हैं, जो वर्तमान में वायदा खंड में उच्च मात्रा में पंजीकृत हैं। आरंभिक तौर पर प्रत्येक एक्सचेंज़ को केवल एक कमोडिटी पर ही इस तरह के ऑप्शन शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
- सेबी ने कहा कि केवल उन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर ही विकल्प लॉन्च किये जा सकते हैं, जो पिछले 12 महीनों के कुल कारोबार के मामले में शीर्ष पाँच अनुबंधों में से एक है।
- ऑप्शन के लिये तभी कमोडिटी के फ्यूचर कॉन्ट्रेक्ट को चुना जा सकेगा, यदि पिछले एक साल के दौरान उसका दैनिक औसत टर्न-ओवर एग्री कमोडिटी के मामले में कम-से-कम-200 करोड़ रुपए और नॉन एग्री कमोडिटी के मामले में 1000 करोड़ रुपए हो।
- मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज़ ऑफ इंडिया (**MCX**), कच्चा तेल, सोना, रजत, जस्ता और ताँबा जैसी वस्तुओं को ऑप्शन अनुबंध के लिये चुन सकता है। इस प्रकार के ऑप्शनों से कमोडिटी बाज़ार की समग्र भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा कमोडिटी बाज़ार को अधिक मज़बूत और कुशल बनाने में सहयोग करेगा।
- वायदा और ऑप्शन के संयोजन से बाज़ार सहभागियों को वायदा की कीमतों को विकसित करने और ऑप्शनों के सरल जोखिम प्रबंधन का लाभ प्रदान करेगा।

सेबी

- यह भारतीय प्रतिभूति बाज़ार की नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी।
- सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 में सेबी को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थीं।
- सेबी अर्द्ध-विधायी, अर्द्ध-न्यायिक और अर्द्ध-कार्यकारी तीनों प्रकार के कार्य संपादित करता है।

फार्म ऋण: आपके सभी सवालों के जवाब

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार कृषि ऋण में किसानों को दिया जाने वाला अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक ऋण शामिल है। अल्पकालिक फसल ऋण में छ: महीने या अधिकतम एक वर्ष का ऋण शामिल किया जाता है। अत: बैंक द्वारा ऋण फ़र्टिलाइज़र खरीदने, कटाई- छंटाई, छिड़काव, ग्रेडिंग और नज़दीकी बाज़ार में उत्पादों को बेचने के लिये परिवहन जैसी अनेक गतिविधियों के लिये उपलब्ध कराया जाता है।

- यह ऋण उन किसानों के लिये दिये जाते जो परंपरागत खेती करते हैं, जैसे- गन्ने और दालों जैसी फसलों के लिये दिया जाता है, न कि चाय, कॉफी, रबर और बागवानी जैसी खेती के लिये।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- सिंचाई और खेत के विकास या उपकरणों की खरीद जैसी अन्य गतिविधियों के लिये भी एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये ऋण प्रदान किया जाता है।
- बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण के अलावा उधार के अन्य भाग कृषि-ढाँचागत ऋण - बैंक कृषि भंडार सुविधाओं के निर्माण के लिये ऋण प्रदान करते हैं, जैसे - गोदामों और सैलोस (**Silos**), बाज़ार, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के विकास के लिये तथा मिट्टी संरक्षण और वाटरशेड विकास, बीज उत्पादन, जैव-कीटनाशक और पौधे टिशू-कल्चर के लिये।
- सहायक कृषि गतिविधियों से संबंधित ऋण - जैसे कृषि-व्यवसाय केंद्र, कृषि-क्लीनिक, खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण उद्योग इत्यादि के लिये।

क्या बैंक किसानों को ऋण देने के लिये बाध्य है?

- हाँ, नीति-निर्माताओं ने बैंकों के लिये कृषि क्षेत्र हेतु अनिवार्य ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि को छोटे और मध्यम उद्यमों, आवास, शिक्षा और सामाजिक बुनियादी ढाँचे जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है।
- भारत में विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये कुल बैंक क्रेडिट का 40% निर्धारित किया गया है, जिसमें कृषि के लिये 18% निर्धारित है।
- इस लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहने वाले बैंकों को यह राशि 'ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास निधि' **(RIDF)** में जमा करनी पड़ती है।

छोटे या सीमांत किसान के रूप में कौन?

- एक सीमांत किसान वह है, जिसके पास एक हेक्टेयर तक की भूमि उपलब्ध है, जबकि छोटे किसान वो हैं, जिसके पास एक से दो हेक्टेयर के बीच भूमि उपलब्ध है। इसमें भूमिहीन कृषि श्रमिकों किरायेदार किसानों को भी शामिल किया गया है।

बैंक कितना ऋण दे सकते हैं?

- किसानों के लिये 50 लाख रुपए तक ऋण दिया जा सकता है, लेकिन यह 12 महीने से अधिक समय के लिये नहीं दिया जाएगा।
- कॉर्पोरेट किसानों और अन्य सहकारी समितियों के लिये (जो डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन जैसा कार्य करते हैं) उनको 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है।
- सहायक कृषि गतिविधियों के लिये ऋण सीमा 100 करोड़ रुपए है, कृषि उत्पादों के निपटान के लिये ऋण की सीमा सहकारी समितियों के लिये 5 करोड़ रुपए तक तय की गई है, जबकि खाद्य और कृषि प्रसंस्करण के लिये 100 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है।
- ब्याज़ दरों की सीमा, बैंकों को किसानों को अधिकतम 7% की दर से उधार देना होगा और जो किसान ऋणों का भुगतान समय पर करेंगे, उन्हें सरकार ब्याज़ में 3% की सब्सिडी देगी।

राज्य सरकारों के बीच ऋण माफ़ी की होड़ क्यों है?

- राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी कृषि ऋण को माफ किया गया है। यह एक राजनीतिक कदम हो सकता है। कई मामलों में किसानों की फसल बर्बादी के कारण किसान ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं, ऐसी परिस्थिति में उनका ऋण माफ कर दिया जाता है।

ऐसी ऋण माफी से चिंता क्या है?

- बैंकर्स और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऋण माफी से उधारकर्त्ताओं के बीच अनुशासनहीनता की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। यह एक नैतिक खतरे को बढ़ावा देता है अर्थात् यह अन्य उधारकर्त्ताओं को भविष्य में ऋण न चुकाने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने चिंता व्यक्त की है कि ऋण माफी से 'ईमानदार क्रेडिट संस्कृति' कमज़ोर होती है और अन्य उधारकर्त्ताओं के लिये ऋण लेने की लागत में वृद्धि कर देती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, देश को एक सशक्त डिजिटल समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

- डिजिटल भारत यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सरकारी सेवाएँ नागरिकों के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हों। इससे सार्वजनिक जवाबदेही को भी बढ़ावा मिलेगा।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के नौ स्तम्भ –

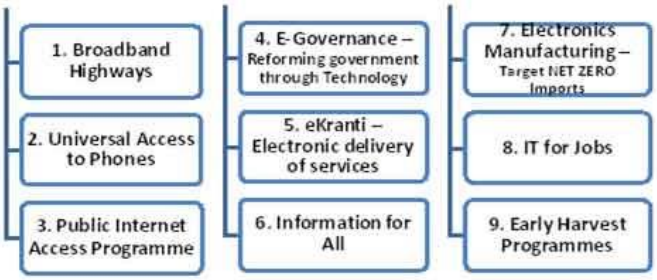

शून्य दोष, शून्य प्रभाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें बीमार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और लंबित पड़े संरचनात्मक सुधारों को लागू करने की दिशा में एक रोड-मैप तैयार किया गया था। आपूर्ति साइड से संबंधित सुधारों में एफ.डी.आई. क्षेत्र में सुधार, व्यापार करने को आसान बनाना (Ease of doing business), भौतिक बुनियादी ढाँचे का विकास करना और प्रतिस्पर्द्धि संघवाद को बढ़ावा देने सहित सभी इस कार्यक्रम में शामिल थे।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मेक इन इंडिया कार्यक्रम को "शून्य दोष, शून्य प्रभाव" (**ZED**) के साथ सैरेखित करने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम का ज़ेड.ई.डी. फोकस न केवल हासिल करना सबसे मुश्किल होता है बल्कि समग्र प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने में इसका प्रभाव सबसे टिकाऊ होगा।
- 'स्टेटिस्टा-दालिया अनुसंधान (**Statista-Dalia Research**) द्वारा 52 देशों में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वे में बताया कि 49 देशों में किये गए उत्पादों के सर्वेक्षण में 'मेड इन जर्मनी' को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड और यूरोपीय संघ आते हैं।
- इसमें विनिर्माण क्षेत्र की गुणवत्ता के मामले में चीन को 49वें स्थान पर और भारत को मामूली बेहतर प्रदर्शन के साथ 42वें स्थान पर रखा गया है। इस रैंकिंग में कोई भी अन्य एशियाई देश शामिल नहीं है। अत: भारत के लिये यह एक मौका प्रस्तुत करता है।
- चीन द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में काफी सुधार किया गया है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में सबसे नीचे है।
- **'ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स' डेलॉइट टच और द काउंसिल ऑन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा प्रकाशित की गई है।**
- इसमें पाँच शक्तिशाली देशों यथा मलेशिया, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम का उदय बताया है। कम लागत वाली उत्पादन नौकरियाँ अब दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में स्थानांतरण हो रही हैं। अत: भारत इसका लाभ उठाने वाले संभावित देशों में से एक हो सकता है।

ज़ेड.ई.डी. योजना

- यह योजना एम.एस.एम.ई. (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र के लिये है, जो वैश्विक मानकों से मेल खाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देती है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पर उत्पादों के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

दिवालियापन कोड के महत्त्वपूर्ण प्रावधान

एक कंपनी तब दिवालिया होती है, जब वह अपने लेनदारों (बैंक, आपूर्तिकर्ताओं आदि) का कर्ज़ चुकाने में असमर्थ हो। कुछ भारतीय कंपनियों के कर्ज़ चुकाने की अक्षमता के कारण बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बढ़ जाती हैं। इस प्रकार के ऋण के रूप में फँसे पैसे को मुक्त करने के लिये एक प्रणाली आवश्यक है। इसी दिशा में आई.बी.सी. बनाया गया है।

- कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान बैंकों सहित कोई भी लेनदार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (**NCLT**) में एक याचिका दायर कर बकाएदारों के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू कर सकता है।
- एक 'दिवालिया पेशेवर' की नियुक्ति की जाती है, ताकि वह चूक करने वाली कंपनी को नियंत्रण में ले सके और प्रक्रिया में सहायता कर सके।
- एक 'लेनदार समिति' **(Creditors Committee)** का गठन किया जाता है, जो कि उधारदाताओं और किसी अन्य पार्टी के हितों का प्रतिनिधित्त्व करती है।
- समिति एक 'संकल्प योजना' (जिसमें डिफाल्ट ऋण को बेचने या कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त करना शामिल हो सकता है) बनाती है, जिसमें 75% लेनदारों की मंज़ूरी आवश्यक है।
- दिवालिया पेशेवर को 180 दिनों में डिफ़ॉल्ट समस्या का व्यावहारिक समाधान सुझाना होगा, लेकिन यह समय सीमा 90 दिनों तक के लिये और बढ़ायी जा सकती है।
- यदि कोई समाधान 270 दिनों के भीतर नहीं निकलता तो एक 'परिसमापक या ऋण शोधन करने वाले की नियुक्ति की जाएगी। कंपनी सामान्य बैठक में विशेष समाधान के लिये स्वैच्छिक परिसमापन का विकल्प भी चुन सकती है।

स्टार्ट-अप इंडिया हब का शुभारम्भ

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में ऑनलाइन 'स्टार्ट अप इंडिया हब' का शुभारम्भ किया, जहाँ भारत में उद्यमिता के सभी भागीदार एक मंच पर आकर परस्पर सहयोग करेंगे, एक-दूसरे के सम्पर्क में रहेंगे और एक-दूसरे से सलाह-मशविरा करेंगे।

- स्टार्ट-अप हब के उद्घाटन के अवसर पर 'स्टार्ट अप परिदृश्य का मार्गदर्शन' नाम से एक सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक स्टार्ट अप, निवेशक, इन्क्यूबेटर, उत्प्रेरक और संरक्षक समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह हब मौजूदा और संभावनाशील स्टार्ट अप को आसान व कारगर बनाएगा। यह सही समय पर सही संसाधनों तक पहुँचने में मदद करेगा। एक नई पहल की भी घोषणा की गई, जिसमें स्टार्ट अप सार्क देशों में विचार-विमर्श के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- यह पोर्टल स्टार्ट अप, निवेशक, संरक्षक, इन्क्यूबटर्स, कॉरपोरेट्स और सरकारी निकाय इत्यादि की मेज़बानी करेगा। यह हब सूचनाओं में विसंगति की समस्या कम करेगा और खासकर देश की दूसरी व तीसरी श्रेणी के शहरों में जानकारियों, उपकरणों व विशेषज्ञों तक पहुँच की कमी को दूर करने की कोशिश करेगा।
- स्टार्ट अप के लिये वर्चुअल हब (**virtual hub**) एक गत्यात्मक मंच होगा, जो उनके शिक्षण एवं विकास, नेटवर्किंग, संरक्षण, वित्तपोषण आदि को सुगम बनाएगा।
- यह हब एक नोडल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा और उपयोगकर्त्ताओं को स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में भागीदार बनाने, शिक्षण संसाधनों तक फ्री पहुँच, कानूनी-तंत्र तक पहुँच, मानव संसाधन व लेखा और नियामकीय मामलों के मंच से जुड़ने में उन्हें सक्षम बनाएगा।
- इस हब में सरकार की प्रासंगिक 50 योजनाओं और कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में यह प्लेटफॉर्म राज्य सरकारों की स्कीमों को भी शामिल करेगा। स्टार्टअप उपयोगकर्त्ताओं को बेहतर अनुभव दिलाने के लिये यह प्लेटफार्म स्वत: ही सभी जगहों से सूचनाओं को एकत्रित करेगा।
- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी, 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सेबी ने तनावग्रस्त संपत्ति खरीदने के लिये मानदंडों को आसान किया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों वाली और दिवालिया कानून की कार्रवाई का सामना कर रही कंपनियों से संपत्ति खरीदने वाले निवेशकों के लिये नियमों को आसान बना दिया है।

- सेबी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (**NCLT**) द्वारा 'दिवालियेपन संहिता- 2016' (**Bankruptcy Code** 2016) के तहत अनुमोदित प्रस्ताव के बाद भी अधिग्रहण के लिये छूट प्रदान करने का निर्णय किया है।
- सेबी ने ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट (**Offshore Derivative Instrument**) के प्रत्येक ग्राहक पर 1,000 डॉलर का 'विनियामक शुल्क' लगाने का फैसला किया है। यह फीस पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (**FII**) द्वारा वसूली जाएगी, जो ओ.डी.आई. जारी करती है।
- उधारदाताओं से दाँव (**Stakes**) खरीदने के बाद अधिग्रहणकर्त्ता को खुली बिक्री (**Open Offers**) करने की छूट दी गई है।
- नए निवेशकों के लिये तीन साल के लॉक-इन (**Lock-in**) जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- सेबी मामले की जाँच के लिये एक 'फॉरेंसिक ऑडिटर' की भी नियुक्ति करेगा।

तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ (Stressed Assets)

- गैर निष्पादित संपत्ति (**NPA**), पुनर्गठित ऋण (**Restructured Loans**) और लिखित-बंद संपत्ति (**Written-off Assets**) को सामूहिक रूप से तनावग्रस्त परिसंपत्ति माना जाता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किये गए सुधार एवं संभावित प्रभाव

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- सरकार ने पहले से चल रही 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' (**NAIS**) की कमियों को दूर करने हेतु वर्ष 2016 से इस योजना की शुरुआत की थी।
- इस योजना के तहत खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के लिये खरीफ में अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी में अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक बागवानी-वाणिज्यिक फसलों के लिये अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम दरें तय की गई हैं।
- इसमें न सिर्फ खड़ी फसल बल्कि फसल पूर्व बुवाई तथा फसल कटाई के पश्चात् जोखिमों को भी शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत स्थानीय आपदाओं की क्षति का भी आकलन किया जाएगा तथा संभावित दावों का 25 प्रतिशत भुगतान तत्काल ऑनलाइन ही कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि मण्डी

- अभी तक देश के सभी राज्यों में अलग-अलग मण्डी कानून है। किसानों के लिये एकल मण्डी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों की सहमति के द्वारा तीन प्रमुख सुधार किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं :- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को मान्यता, एकल खिड़की पर मार्केट फीस एवं एकीकृत लाइसेंस पद्धति। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कृषि मण्डी की शुरुआत की गई थी, जो कि एक वेब आधारित ऑनलाइन व्यापार पोर्टल है।
- इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी उपज देश भर की मण्डियों के माध्यम में बेच सकेंगे।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- वर्ष 2015-16 के पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा छोटे स्तर पर अलग-अलग मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते थे तथा इसके लिये अलग से कोई राशि आवंटित नहीं की जाती थी।
- इस विषय की गंभीरता को देखते हुए पहली बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई, जिसमें एकीकृत मृदा नमूना एकत्रीकरण एवं परीक्षण पद्धति को अपनाया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस योजना के माध्यम से 12 मृदा स्वास्थ्य पैरामीटरों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे किसान को अपने खेत के उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की सही जानकारी मिलेगी।
- इस योजना के माध्यम से न सिर्फ किसानों के लागत मूल्य में कमी आ रही है बल्कि सही पोषक तत्त्वों की पहचान एवं उपयोगिता को भी बढ़ावा मिलेगा।

कृषि वानिकी

- सरकार द्वारा मेंड़ पर पेड़, खेत में पेड़ तथा फसलों के बीच (**Intercropping**) में पेड़ लगाने के उद्देश्य से पहली बार कृषि वानिकी उपमिशन योजना प्रारंभ की गई है।
- इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, मृदा में जैविक पदार्थों को बढ़ाने और किसानों की आय को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- यह योजना देश में वैज्ञानिक एवं समेकित तरीके से स्वदेशी गौवंश (**Domestic Bovines**) नस्लों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से 27 राज्यों में 35 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है।
- इसके तहत 31 उच्च नस्ल के मादा गौवंश फार्म (**Mother Bull Farm**), गायों के दुग्ध उत्पादकता की रिकॉर्डिंग, 30,000 कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को प्रशिक्षण और साथ ही गौवंश के विशेष संरक्षण हेतु 14 गोकुल ग्राम (**Bovine Development Centres**) की स्थापना की जा रही है।
- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी नस्लों के विशेष संरक्षण हेतु 2 कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। इस मिशन से लगभग 7 करोड़ दुग्ध उत्पादक किसानों व 30 करोड़ गौवंश एवं भैंस वंश की उत्पादकता में सुधार की संभावना है।

राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन

- पशुपालकों की आय एवं दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि वर्ष 2016 से राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन की नई योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत देश में पहली बार 8.8 करोड़ दुधारु पशुओं को नकुल स्वास्थ्य पत्र एवं पशु यूआईडी (**UID**) जारी किए जाएंगे, जिससे उनके स्वास्थ्य एवं उत्पादकता की पूर्ण निगरानी एवं सामयिक उपचार हो सकेगा।
- मादा बोवाईन की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से उन्नत प्रजनन तकनीक (**Advanced Breeding Techniques**) जैसे लिंग सोर्टेड बोवाईन वीर्य तकनीक (**Sex Sorted bovine Semen**), 50 भ्रूण स्थानांतरण केन्द्र (**Embryo Transfer Techniques**) और इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (**In vitro Fertilization**) केन्द्र खोले जाएंगे।
- देशी नस्लों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय जेनोमिक केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिसमें जिनोमिक तकनीक के माध्यम से कुछ ही वर्षों में देशी नस्लों को उच्च उत्पादकता हेतु स्वीकार्य बनाया जा सकेगा।
- वर्ष 2016 में पहली बार उच्च नस्ल/उत्पादक पशुधन को बेचने व खरीदने के लिये ई-पशुधन हाट पोर्टल की शुरुवात की गई।

नीली क्रान्ति

- सरकार ने मछली उत्पादन, मत्स्य पालकों के संरक्षण के उद्देश्य से अंतर्देशीय मात्स्यिकी, जल कृषि, समुद्री मात्स्यिकी, मेरीकल्चर (**Mericulture**), मत्स्य किसानों के लिये बंदरगाहों के विकास जैसे अवयवों के साथ मात्स्यिकी के क्षेत्र की सभी योजनाओं को नीली क्रान्ति की एक छतरी (**One Point**) के नीचे लाया गया है।
- इसके फलस्वरूप विगत 3 सालों में मछली उत्पादन में 19.75 प्रतिशत की वृद्धि एवं बीमित मछुआरों की संख्या में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कृषि शिक्षा में स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम

- पूर्व में विभिन्न विषयों में हमारे चार वर्षीय कार्यक्रम थे, जिनमें कौशल विकास पर कम ध्यान दिया गया था तथा केवल 6 महीने का ग्रामीण प्रदर्शन (**Rural Demonstrations**) था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- वर्तमान में ग्रामीण प्रदर्शन कार्यक्रम को एक वर्ष का कर दिया गया है, जिससे हमारे डिग्रीधारक जॉब माँगने वाले की बजाय जॉब प्रदाता बन सकेंगे।
- साथ ही उद्योग वातावरण के प्रदर्शन से छात्रों को उत्पादन प्रक्रियाओं का लाभकारी अनुभव होगा, जिससे कालांतर में छात्र कृषि उद्यमों में स्वरोजगार के लिये प्रोत्साहित हो सकेंगे।

साइबर हमले की वैश्विक लहर से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ प्रभावित

रूस और यूक्रेन में हुए साइबर हमले की लहर पश्चिमी यूरोप और अटलांटिक के पार भी फैल गई है। इस हमले ने सरकार और कॉरपोरेट क्षेत्र की कम्प्यूटर प्रणालियों पर कहर बरपाया।

- कुछ विशेषज्ञों द्वारा इसे पेत्या रैंसमवेयर वायरस का संशोधित संस्करण बताया गया। साइबर हमले की पहली रिपोर्ट यूक्रेन के बैंकों, कीव के मुख्य हवाई अड्डे और रोज़नेफ़्ट से प्राप्त हुई।
- कुछ आईटी विशेषज्ञों ने इस वायरस को "पेट्राप" के रूप में पहचाना है, जो पेत्या रेंसमवेयर का एक संशोधित संस्करण है, जिसने पिछले साल भी हमला किया था और पीड़ितों को उनके डेटा की वापसी के बदले में पैसे की मांग की थी।

पेट्या/नॉटपेट्या (Petya/Notpetya) रैनसमवेयर

- यह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर है, जो कंप्यूटर में फाइलों को लॉक कर देता है और उन फाइलों को अनलॉक करने के लिये उपयोगकर्त्ता से फिरौती की मांग करता है।
- वर्तमान साइबर हमला पेट्या रैनसमवेयर का एक रूपांतर माना जा रहा है, जो वर्ष **2016** से अस्तित्व में है।
- कैस्परस्काई (**Kaspersky),** जो कि एक साइबर सुरक्षा प्रदाता है, की प्रारंभिक जाँच के अनुसार, वर्तमान साइबर हमला पेट्या रैनसमवेयर का एक रूपांतर नहीं है बल्कि एक नया रैनसमवेयर है। वह इसे नॉटपेट्या कह रही है।
- पेट्या अथवा नॉटपेट्या रैनसमवेयर, वान्नाक्राई (**WannaCry)** वायरस के बाद दूसरा प्रमुख वैश्विक रैनसमवेयर है, जिसका प्रभाव इतना व्यापक है।
- गौरतलब हो कि वान्नाक्राई वायरस ने इस वर्ष मई महीने में विश्व के **200** देशों के **3,00,000** कंप्यूटरों को प्रभावित किया था। वान्नाक्राई रैनसमवेयर की तरह पेट्या भी अपने आप को प्रचारित करने के साधन के रूप में बाह्य ब्लू (एक्सटर्नल ब्लू) का उपयोग करता है।
- पेट्या रैनसमवेयर न केवल फाइलों को एनक्रिप्ट (**encrypt)** कर देता है, बल्कि यह सम्पूर्ण डिस्क को लॉक कर देता है, जिससे यह तब तक कार्य करना बंद कर देता है, जब तक इसे हटाया नहीं जाता।
- यह पूरी कार्य प्रणाली को बंद कर देता है एवं उसे चालू करने के लिये बिटक्वाइनों (**Bitcoins)** के रूप में **$ 300** फिरौती की मांग करता है।

नई हाइड्रोकार्बन नीति

भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने नई तेल एवं गैस ब्लॉक लाइसेंसिग नीति ज़ारी की। यह नीति भारत में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लिये 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर का तलछटी बेसिन खोल सकती है।

प्रमुख बिंदु

- ओएएलपी सरकार की हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति का एक हिस्सा है, जो सरकार के औपचारिक बोली का इंतज़ार किये बिना अन्वेषण कंपनियों को स्वयं के अन्वेषण ब्लॉकों का चयन करने का विकल्प प्रदान करती है।
- कंपनी तब सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत करती है और सरकार उस ब्लॉक को बोली लगाने के लिये रखती है। नई नीति अन्वेषण एवं उत्पादन के लिये **2.8** मिलियन वर्ग किलोमीटर का तलछटी बेसिन प्रदान करेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- आरंभ में ब्लॉकों के लिये आवेदन और संबंधित बोलियाँ एक वर्ष में दो बार-जनवरी और जुलाई में होंगी, परन्तु जब उद्योग इस मॉडल से परिचित हो जाएंगे तब यह और अधिक बार हो सकती है।
- मौलिक बदलाव ओएएलपी भारत के अन्वेषण एवं उत्पादन इतिहास में एक मौलिक बदलाव है। यह नीति भारत सरकार की प्रशासनिक और नियामक बोझ को कम करने की प्रतिबद्धता को दोहराती है, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है।
- सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिये एकल लाइसेंस, बिना तेल उपकर के, रॉयल्टी की कम दरें इत्यादि कुछ ऐसे प्रावधानों में से हैं, जो इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सामाजिक मुद्दे

बाल विवाह का चिंताजनक ट्रेंड

अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च प्रोजेक्ट यंग लाइव्ज़ (young lives) द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के समन्वय से भारत में बाल विवाह की घटनाओं पर अनुसंधान किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यह अध्ययन 2011 की जनगणना पर आधारित है। अध्ययन में पाया गया कि देश में बाल विवाह में गिरावट आई है।

- यह पाया गया कि कुल बाल विवाहों में सबसे अधिक 2.5% अकेले राजस्थान में हुए, इसके बाद मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, दादरा एवं नगर हवेली और कर्नाटक इत्यादि राज्यों में।
- 2001 से 2011 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की घटनाओं में गिरावट देखी गई, जबकि शहरों में बाल विवाह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, जो 2001 की 1.78% से बढ़कर 2011 में 2.45% हो गई।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

- यह एक वैधानिक आयोग है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2005 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण के लिये आयोग, द्वारा की गई थी।
- आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
- आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के अनुरूप हों, जो भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उपलब्ध हैं।
- आयोग द्वारा 18 साल से कम आयु वालों को बालक माना गया है।

भारत में विश्व के 31% गरीब बच्चे निवास करते हैं

ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) की "ग्लोबल मल्टी-डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स (MPI) -2017" नामक नई रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के "बहुआयामी गरीबी" के शिकार बच्चों में से करीब 31% बच्चे भारत में निवास करते है।

- यह अध्ययन 103 देशों में किये गए एक सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। इन देशों के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व के 689 मिलियन गरीब बच्चों में से 31% बच्चे भारत में निवास करते हैं, इसके बाद नाइजीरिया में 8%, इथियोपिया में 7% और पाकिस्तान में 6% बच्चे ऐसी स्थिति में जीवन-यापन करते है।
- 'बहुआयामी गरीबी' से पीड़ित बच्चा वह होता है ,जिसमें तीन आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) में समूहीकृत किये गए दस संकेतकों में से कम-से-कम एक-तिहाई का अभाव हो। इसमें 'स्वास्थ्य' आयाम में पोषण व शिशु मृत्यु दर शामिल हैं तो 'जीवन स्तर' में खाना पकाने के लिये ईंधन, बेहतर स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, बिजली इत्यादि शामिल है।
- कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में ऐसे 'बहुसंख्यक गरीब' बच्चों की संख्या के संदर्भ में भारत 103 देशों में 37वें स्थान पर है।
- देश के कुल 21.7 करोड़ बच्चों में से 49.9% बहुआयामी रूप से गरीब हैं।
- यह सर्वेक्षण 2011-2012 के 'भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण' पर आधारित है।
- रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दुनिया के 103 देशों में लगभग 50% लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं, इनमें 48% बच्चे शामिल हैं।
- अध्ययन के अनुसार, बहुआयामी गरीबी से पीड़ित 87% बच्चे तो केवल दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में निवास करते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)

- **MPI** को ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 में विकसित किया गया था।
- इस सूचकांक द्वारा गरीबी निर्धारण में आय आधारित सूचकांकों के अलावा विभिन्न कारकों को शामिल किया गया है। इसे पहले के सभी 'मानव गरीबी सूचकांकों' के स्थान पर विकसित किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पर्यावरण घटनाक्रम

पेरिस जलवायु समझौता

- इस ऐतिहासिक समझौते को 2015 में 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क' **(UNFCCC)** की 21वीं बैठक में अपनाया गया, जिसे **COP-**21 के नाम से जाना जाता है।
- इस समझौते को 2020 से लागू किया जाना है।
- इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी देश वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है (दूसरे शब्दों में कहें तो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है) और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिये सक्रिय प्रयास करना है।
- पहली बार विकसित और विकासशील देश दोनों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान **(INDC)** को प्रस्तुत किया, जो प्रत्येक देश के अपने स्तर पर स्वेच्छा से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक विस्तृत कार्रवाइयों का समूह है।

गोवा में जैव-विविधता हॉटस्पॉट की नई साइटें

बर्डलाइफ इंटरनेशनल, जो कि एक वन्यजीव संरक्षण संगठन है, ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से गोवा में तीन नई साइटों को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्रदान की है। इन साइटों को 'महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैव-विविधता क्षेत्र' के रूप में सूची में जोड़ा गया है। इसके लिये डाटा संग्रहण का कार्य गोवा बर्ड संरक्षण नेटवर्क (GBCN) द्वारा किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- अब गोवा के सात क्षेत्रों को 'बर्ड लाइफ' द्वारा महत्त्वपूर्ण जैव-विविधता वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। ये सात क्षेत्र है- भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और मोलेम नेशनल पार्क, कैराम्बोलिन वेटलैंड्स, कोटीगाओ वन्यजीव अभयारण्य, म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, नवेलिम वेटलैंड्स और नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य।
- गोवा के ढाडो क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करने के लिये कैराम्बोलिन वेटलैंड्स की सीमा को बढ़ाया गया है, जिसको अनेक प्रवासी पक्षियों की शरणस्थली के रूप में जाना जाता है।
- किसी साइट को एक महत्त्वपूर्ण बर्ड और जैव-विविधता क्षेत्र के रूप में घोषित करना, यह सुनिश्चित नहीं करता है कि साइट को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है और लोगों की आवाज़ाही को वर्जित कर दिया गया है।
- बर्डलाइफ इंटरनेशनल, वन्यजीव संरक्षण के महत्त्व के स्थलों की पहचान करने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय समुदाय आधारित संरक्षण को बढ़ावा देता है।

बर्डलाइफ इंटरनेशनल (BI)

- बर्डलाइफ इंटरनेशनल, जिसे पहले पक्षी संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय परिषद के नाम से जाना जाता था, विश्व की सबसे बड़ी प्रकृति संरक्षण भागीदारी है।
- वर्तमान में इसके 120 बर्डलाइफ पार्टनर्स हैं, जिनका चुनाव प्रत्येक देश से किया जाता है।
- यह संरक्षण की 'स्थानीय से वैश्विक' दृष्टिकोण तकनीक को अपनाता है, जो लोगों के लाभ को दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

बोस्फोरस स्ट्रेट का बदला रंग

हाल ही में बोस्फोरेस स्ट्रेट के रंग का अचानक नीले रंग से चमकदार फ़िरोज़ी रंग में परिवर्तित हो जाने की घटना ने लोगों के साथ-साथ पर्यावरणविदों को भी आश्चर्य में डाल दिया है। उल्लेखनीय है कि बोस्फोरस स्ट्रेट यूरोप और एशिया महाद्वीपों को विभाजित करती है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों ने इसका कारण काला सागर के पास प्लवक की एक प्रजाति के बढ़ने को माना है, जबकि किसी ने भूकंप तो किसी ने प्रदूषण को इसका कारण बताया।
- वैज्ञानिकों ने इसका कारण सूक्ष्म जीव एमिलियानिया हक्स्लेय (**Emiliania huxleyi)** की संख्या में वृद्धि बताया, जिसे एहस (**Ehux)** भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इसका प्रदूषण से कोई लेना-देना नहीं है।
- एन्काविस (**Anchovies)** को पादप प्लवक और छोटी मछलियाँ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अत: इसकी संख्या में वृद्धि एक अच्छी बात है।
- वैज्ञानिकों ने काला सागर के पास एमिलिया हक्सलेय की इस विस्फोट संख्या को काला सागर के लिये एक वरदान माना। इस बदले रंग को नासा के टेरा सैटेलाइट द्वारा भी कैप्चर किया गया था।
- नासा ने भी इस रंग परिवर्तन का कारण कोकोलिओथोफोर (**coccolithophore)** नामक फाइटप्लेन्कटन की संख्या में वृद्धि को माना।
- एमिलानिया हक्स्लेय भी कोकोलिओथोफोर की एक प्रजाति है।

बोस्फोरेस स्ट्रेट

- पश्चिमी तुर्की में अवस्थित यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है।
- यह एक संकीर्ण एवं प्राकृतिक जलसंधि है।
- यह काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नैविगेशन के लिये उपयोग की जाने वाली विश्व की सबसे छोटी जलसन्धि है।

'जैव-प्रौद्योगिकी अभिनव संगठन' का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

कैलिफोर्निया के सेन डिएगो में 19 से 22 जून तक 'जैव-प्रौद्योगिकी नवाचार संगठन' (Biotechnology Innovation Organization) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- बी.आई.ओ. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक कार्यक्रम है। प्रथम जैव-अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1993 में आयोजित किया गया था।
- बी.आई.ओ. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी जैव-प्रौद्योगिकी नवाचार संगठन द्वारा की जाती है।
- बी.आई.ओ. 1100 जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और अमेरिका के साथ-साथ 30 से अधिक देशों में राज्य जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्रों और संबंधित संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है।
- बी.आई.ओ. सदस्य नवाचार स्वास्थ्य सेवा, कृषि, औद्योगिक और पर्यावरण संबंधी जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादों के अनुसंधान और विकास में लगे हुए हैं। जैव अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से मिले लाभ को जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग को जैव कार्यक्रमों के समर्थन के रूप में वापस लौटा दिया जाता है।
- बी.आई.ओ. नीति संबंधी वातावरण बनाने के लिये वर्षभर कार्य करता है, ताकि जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग नवाचार के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

वैज्ञानिक घटनाक्रम

इसरो की बड़ी सफलता व देश का भविष्य

भारत द्वारा जी.एस.एल.वी. (GSLV) मार्क-III के रूप में एक नवीन रॉकेट का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से) एक बड़ी प्रौद्योगिकीय सफलता है। यह उपग्रह 3,136 किलोग्राम का जी.एस.टी.-19 संचार उपग्रह होगा, जिसे पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा।

- यह प्रक्षेपण यान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा प्रक्षेपण यान है। यह रॉकेट 4000 किलोग्राम वज़न वाले उपग्रहों को भू-स्थैतिक स्थानान्तरण कक्षा (**GOT**) में 36,000 किमी. की दूरी तक और 10,000 किग्रा. वज़न के उपग्रह को निम्न भू कक्षा (**LEO**) में 800 किमी. की दूरी तक ले जा सकता है।
- जी.एस.एल.वी. मार्क-**III,** पी.एस.एल.वी. (**PSLV**) और जी.एस.एल.वी. मार्क-**II** के बाद परिचालित एक आधुनिक प्रमोचक यान होगा।
- यह चौथी पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसमें तीन-स्तरीय यान के साथ चार तरल स्ट्रैप्स-ओन्स (**straps-ons**) होते हैं और तीसरे चरण में देश में विकसित क्रायोजेनिक इंजन (**CUS**) लगा होता है।
- जीटीओ में जी.एस.एल.वी. मार्क-**III** से अलग होने के बाद, जीएसएटी-19 अपनी भौगोलिक कक्षा तक पहुँचने के लिये अपनी प्रणोदन प्रणाली (**Propulsion system**) का उपयोग करेगा।

लाभ

- जी.एस.एल.वी. मार्क-**III** अपने साथ जीएसएटी-19 संचार उपग्रह को ले जाएगा, यह उपग्रह **VSAT (VERY SMALL APERTURE TERMINAL)** तकनीक के साथ-साथ डाटा कनेक्टिविटी तथा ऐसे ही अन्य अनुप्रयोगों के बेहतर संचालन में मददगार होगा।
- यह उपग्रह मल्टीपल स्पॉट बीम (**MULTIPLE SPOT** बीम) का प्रयोग करके भारत के सम्पूर्ण भू-भाग को कवर करेगा। इससे इंटरनेट की गति और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी।
- इसके अतिरिक्त मार्क-**III** की सफलता का मतलब होगा कि अब भारत संचार उपग्रहों को स्वयं ही प्रक्षेपित करने में सक्षम होगा।
- मार्क-**III** का प्रयोग भारी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिये किया जाएगा, जो वर्तमान में ज़्यादातर यूरोप की एरियन स्पेस एजेंसी की सहायता से प्रक्षेपित किये जाते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रक्षेपण के लिये भारत के पास उतनी क्षमता का शक्तिशाली रॉकेट नहीं है।

ई-सिगरेट: प्रस्तुत करती नई चुनौतियाँ

ई-सिगरेट के अनेक नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। इन्हीं खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी एक कार्यदल का गठन किया है।

- ई-सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान उपकरण है, जिसे अक्सर तंबाकू सिगरेट के हानिरहित विकल्प के रूप में बेचा जाता है।

ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम (ENDS)

- यह एक बैटरी संचालित डिवाइस है जो तरल निकोटीन, प्रोपलीन, ग्लाइकॉल, पानी, ग्लिसरीन के स्वाद के मिश्रण को गर्म करके एक एयरोसोल बनाता है, जो एक असली सिगरेट जैसा अनुभव देता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह डिवाइस पहली बार 2004 में चीनी बाज़ारों में "तंबाकू के स्वस्थ विकल्प" के रूप में बेची गई थी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) के मुताबिक, 2005 से ही ई-सिगरेट उद्योग एक वैश्विक व्यवसाय बन चुका है और आज इसका बाज़ार लगभग 3 अरब डॉलर का हो गया है।
- इसका प्रचार-प्रसार 'हानिरहित उत्पाद' के रूप में किया जा रहा है।
- भारत में 30-50% ई-सिगरेट्स ऑनलाइन बिकती हैं और चीन इसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता देश है।
- भारत में ई-सिगरेट की बिक्री को अभी तक विनियमित नहीं किया गया है। यही कारण है कि इसे बच्चे और किशोर आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- पंजाब राज्य ने ई-सिगरेट को अवैध घोषित किया है। राज्य का कहना है कि इसमें तरल निकोटीन का प्रयोग किया जाता है, जो वर्तमान में भारत में अपंजीकृत ड्रग के रूप में वर्गीकृत है।

केवल पीएसयू ही बना सकेंगी ऑक्सीटोसिन

विवादास्पद हार्मोन दवा 'ऑक्सीटोसिन' को भारतीय खुदरा बाज़ारों में 2014 में प्रतिबंधित करने के बाद 'भारतीय दवा नियंत्रक' जल्द ही इस दवा के उत्पादन को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) तक ही सीमित करने जा रहा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस दवा का उपयोग डेयरी मालिकों और किसानों द्वारा दूध के उत्पादन को बढ़ाने और सब्जियों का आकार बढ़ाने और ताज़ा बनाने के लिये किया जाता है। सर्वे में यह पाया गया कि दुधारू पशुओं में और किसानों द्वारा सब्ज़ियों में ऑक्सीटोसिन का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मनुष्यों में अवांछनीय हार्मोनों की क्षति हो रही है।
- यह अनुसूची-एच (**Schedule -H**) दवा होने के बावज़ूद भी पंजीकृत निजी दवा निर्माताओं द्वारा इस दवा का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस दवा के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने का एक प्रमुख कारण है, भारत में मजबूत पशु चिकित्सा सेवाओं का अभाव होना।
- मार्च 2016 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऑक्सीटोसिन के निर्माण को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तक सीमित करने का आदेश दिया था और जिन कंपनियों ने पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, उन्हें इस दवा का निर्माण न करने के निर्देश भी दिये थे।
- ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग के कारण दुधारू पशुओं में बाँझपन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

ऑक्सीटोसिन

- ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, जो मस्तिष्क में अवस्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है।
- मनुष्य के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण ऑक्सीटोसिन को प्यारा हार्मोन व आनंद हार्मोन आदि नामों से भी जाना जाता है।

PSLV द्वारा भारी उपग्रह कार्टोसैट-2 का प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (श्रीहरिकोटा) से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-38) द्वारा कार्टोसैट-2 उपग्रह श्रृंखला के साथ-साथ तीस अन्य सह-यात्री उपग्रहों (Co-passenger Satellites) का भी प्रक्षेपण किया गया है।

- यह स्ट्रैप-ऑन मोटर्स (**strap-on motors**) के साथ चार चरणों वाले पी.एस.एल.वी. (**PSLV XL extended**) की 17वीं उड़ान थी। यह रॉकेट 320 टन वज़नी है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक का उपयोग किया गया, जबकि दूसरे और चौथे चरण में तरल प्रणोदक का उपयोग किया गया है।
- 955 किलो वज़नी 31 उपग्रहों को 505 कि.मी. दूरी पर अवस्थित ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक (**polar sun synchronous**) कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह इसरो द्वारा एक साथ प्रक्षेपित की जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी उपग्रहों की संख्या होगी।
- पी.एस.एल.वी.-**C**38 पेलोड में एक नैनो उपग्रह भी शामिल है, जिसे कन्याकुमारी में अवस्थित नूरुल इस्लाम विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गया है। कार्टोसैट-2 को पाँच वर्ष के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- उपयोग उपग्रह द्वारा प्राप्त चित्रों का उपयोग कार्टोग्राफिक के अनुप्रयोगों में, तटीय भूमि के उपयोग और नियमन के लिये, सड़क नेटवर्क की निगरानी, जल वितरण, भूमि उपयोग के मानचित्रण में, भौगोलिक सूचना प्रणाली (**GIS)** के अनुप्रयोगों के लिये।
- अन्य देशों के उपग्रह अन्य पेलोड, जिनमें 29 नैनो उपग्रह भी शामिल हैं, का निर्माण 14 देशों द्वारा किया गया है, जिनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, चेक-गणराज्य, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।
- अन्य देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण एंट्रिक्स कॉरपोरेशन (इसरो की वाणिज्यिक इकाई) और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के बीच हुए वाणिज्यिक समझौतों के तहत किया गया है।

कार्टोसैट-2

- कार्टोसैट-2 एक पृथ्वी पर्यवेक्षण (**earth observation)** उपग्रह है, जिसका वज़न 712 किलो है, जोकि एक उन्नत सूदूर संवेदी उपग्रह है।
- कार्टोसैट-2 के साथ एक अत्याधुनिक स्टेट-ऑफ-दी-आर्ट पैनक्रोमेटिक (**PAN)** कैमर भी जोड़ा गया है, जो पृथ्वी के विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के दृश्य क्षेत्र (**visible region of the electromagnetic spectrum)** की काली और सफेद फोटो उपलब्ध कराएगा।

आईएनएस कलवरी

- भारतीय नौसेना के छह कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में यह पहली पनडुब्बी है, जिसका निर्माण भारत में हो रहा है।
- यह एक डीज़ल-इलेक्ट्रिक हमला करने वाली पनडुब्बी है, जिसे फ्राँसीसी नौसैनिक रक्षा और ऊर्जा कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसे मझगाँव डॉकयार्ड लिमिटेड, मुंबई द्वारा तैयार किया गया है।
- आईएनएस कलवरी में पिछली डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में बेहतर छुपने वाली प्रौद्योगिकी है।
- यह सटीक निर्देशित हथियारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर हमले भी शुरू कर सकती है। इस पनडुब्बी के माध्यम से पानी की सतह पर या नीचे की सतह से एंटी-शिप मिसाइल प्रक्षेपित की जा सकती है।
- कलवरी को विशेष इस्पात से बनाया जा रहा है। यह उच्च तनाव एवं उच्च तीव्रता के हाइड्रोस्टेटिक बल का सामना कर सकती है और महासागरों में गहराई से गोता लगा सकती है।

आईएनएस कलवरी उन छः पनडुब्बियों में से एक है, जिनका सतह और पानी के नीचे सख्ती से डेढ़ साल तक परीक्षण किया गया है।

इसरो ने किया जीसेट -17 का प्रक्षेपण

इसरो ने संचार उपग्रह जीसेट-17 का सफल प्रक्षेपण किया गया| इसके साथ ही भारत ने गत दो माह में तीसरे संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। जीसेट-17 को फ्रेंच गयाना स्थित कौरू (Kourou) से प्रक्षेपित किया गया।

- यह एरियन स्पेस से इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला **21**वाँ सैटेलाइट है।
- यह उपग्रह भारत के संचार उपग्रहों की स्वदेश निर्मित प्रौद्योगिकी है, जिसका उपयोग डिज़िटल ऑडियो, डाटा और वीडियो प्रसारण के लिये किया जाता है। यह इसरो द्वारा विकसित की गई जियोसिंक्रोनस उपग्रहों की जीसेट श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य भारत को प्रसारण सेवाओं में आत्मनिर्भर बनाना है।
- **3,477** किलो के जीसैट-**17** दूरसंचार उपग्रह में सी-बैंड, विस्तारित सी-बैंड और एस-बैंड के द्वारा देश को अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी|

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- विभिन्न बैंडों में **40** से ज़्यादा ट्रांसपोंडर लगाए गए हैं। इसे **17** संचार उपग्रहों के मौजूदा बेड़े में ही जोड़ा जाएगा। इसे जियोसिंक्रोनस स्थानांतरण ऑर्बिट (**GTO)** कक्षा में स्थापित किया गया है।
- इसे फ्राँसीसी रॉकेट एरियन-**5** वी.ए.-**238 (VA-238)** द्वारा प्रक्षेपित किया गया है।
- इस उपग्रह में मौसम विज्ञान संबंधी आँकड़ों और उपग्रह आधारित खोज और बचाव संबंधी उपकरण भी लगाए गए हैं। कर्नाटक के हासन स्थित इसरो के मुख्य नियंत्रण सुविधा (**MCF)** से जीसैट-**17** का नियंत्रण और संचालन किया जाएगा।
- जीसेट-**17** का परिचालन लगभग **15** वर्ष के लिये किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

21वीं सदी का एक दृष्टिपत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय देशों- जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्राँस की यात्रा (29 मई से 3 जून तक) के दौरान भारत एवं रूस द्वारा सयुंक्त वक्तव्य '21वीं सदी का एक दृष्टिपत्र' जारी किया गया।

- तमिलनाडु में 1000 मेगावाट क्षमता की परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दो इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ दोनों देशों ने पहली बार तीनों सेनाओं (थल, जल, वायु) का युद्धाभ्यास 'इंद्र 2017' तथा 'कैमोव -226' सैन्य हेलीकाप्टरों का संयुक्त रूप से निर्माण करने के संबंध में स्वीकृति दी।

भारत बना शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का पूर्णकालिक सदस्य

एस.सी.ओ. में भारत की सदस्यता की घोषणा कज़ाखस्तान के राष्ट्रपति नरसुल्तान नज़रबायेव ने की। इसके साथ ही पाकिस्तान को भी इस संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया। 2005 से भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

- शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन 2001 में शंघाई में किया गया था।
- वास्तव में इसकी स्थापना 1996 में गठित शंघाई पाँच (**Sanghai five**) संगठन से हुई, जिसके सदस्य देश चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान थे।
- वर्ष 2001 में उज़्बेकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया और संगठन का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन रख दिया गया। वर्तमान में रूस, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एवं चीन इस संगठन के पूर्ण सदस्य हैं।
- इनके अलावा पर्यवेक्षक के रूप में भारत, पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया भी इसमें शामिल किये गए है। ये सभी देश जुलाई 2005 में कज़ाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित इसकी पाँचवी बैठक में पहली बार शामिल हुए।
- इस संगठन की आधिकारिक भाषा चीनी और रूसी है और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। एस.सी.ओ. एक राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य संगठन है, जिसका मुख्य कार्य मध्य एशिया में स्थिरता को मज़बूत बनाना है, लेकिन यह आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में भी कार्य करता है।
- आपदा की स्थिति में सदस्य देशों में सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, एक दूसरे को विशेष उपकरण उपलब्ध करना, नागरिक सुविधाओं में एक-दूसरे की मदद करना, वित्तीय-आर्थिक-रणनीतिक और मानव सहायता देना, इसके महत्त्वपूर्ण कार्यों में शामिल है।

खाड़ी देशों में तनाव

सऊदी अरब, बहरीन, यमन, मिस्र और सयुंक्त अरब अमीरात (UAE) ने कतर से सभी कूटनीतिक संबंधों को तोड़ दिया है। इन देशों ने कतर पर मुस्लिम ब्रदरहुड, अल-कायदा और आईएसआईएस (ISIS) जैसे आतंकी संगठनों के साथ रिश्ते रखने का आरोप लगाया है। इन देशों का कहना है कि कतर ईरान के साथ अपना तालमेल बढ़ा रहा है।

- इसी घोषणा के साथ ही लीबिया तथा मालदीव ने भी कतर से अपने रिश्ते तोड़ दिये हैं। खाड़ी देशों के इस संकट से वैश्विक स्तर पर कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं
- कतर लिक्विफाइड नेचुरल गैस (**LNG**) का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वह दुनिया की एक-तिहाई एल.एन.जी. की मांग पूरी करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC)

- खाड़ी सहयोग परिषद (**GCC**) एक क्षेत्रीय अन्तर्राज्यीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इस संघ में इराक और कतर को छोड़कर फारस की खाड़ी के सभी देश शामिल हैं।
- इसके सदस्य देश हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।
- 25 मार्च, 1981 को खाड़ी सहयोग परिषद के चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद, औपचारिक रूप से **GCC** की स्थापना की गई थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी।

- इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में अवस्थित है। डब्ल्यू.एच.ओ. संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (**United Nations Development Group**) का सदस्य है।
- इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- जीनएक्पर्ट (**GeneXpert**) नामक एक एकल डिवाइस का उपयोग टी.बी. और एच.आई.वी. संक्रमणों की जाँच करने के लिये किया जा सकता है।
- भारत ने हाल ही में 'राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम' के लिये 600 जीनएक्पर्ट मशीनों की खरीददारी की है। अधिकांश देशों द्वारा बहु-रोग परीक्षण का उपयोग नहीं किये जाने के कारण डब्ल्यू.एच.ओ. ने इन अत्याधुनिक पोर्टेबल मशीनों का (जो आणविक परीक्षण (**molecular tests**)) पर कार्य करती है, उपयोग करने की सलाह दी है।
- किसी भी अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली में मल्टी-परीक्षण करने की क्षमता होनी चाहिये। वर्तमान में हम ज़्यादातर एकल रोग परीक्षण प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहे हैं, जबकि एक ही मशीन द्वारा अनेक टेस्ट किये जा सकते हैं।

उपयोग

- आणविक प्रौद्योगिकियों की अनुकूलन क्षमता के कारण हम एकल प्लेटफार्म का उपयोग अनेक बीमारियों का एक साथ टेस्ट करने में कर सकते हैं।
- मल्टी-रोग डिवाइस क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है और ज़रूरत के समय मरीजों की जाँच तक पहुँच सुनिश्चित कर सकता है।
- ऐसे उपकरण शिशुओं में एच.आई.वी. की शुरुआत, एच.आई.वी. और हेपेटाइटिस के वायरल भार निगरानी (**viral load monitoring**) के उपचार एवं निदान से संबंधित चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विश्व ड्रग रिपोर्ट

'संयुक्त राष्ट्र संघ के ड्रग एवं अपराध कार्यालय' (United Nation's office on Drug and Crime) द्वारा 'विश्व ड्रग रिपोर्ट' जारी की गई, जिसमें संगठित अपराधों के लिये नशीली दवाइयों के व्यापार के माध्यम से वित्त-पोषण किया जा रहा है और साथ ही नशीली दवाइयों के व्यापार और आतंकवाद के मध्य आपसी संबंधों को उज़ागर किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार विश्व में करीब एक अरब लोग नशीली दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट यह बताती है कि नशीली दवाइयों के व्यापार और संगठित अपराध के मध्य एक पेचीदा नेटवर्क बना हुआ है।
- एक अनुमान के अनुसार 85 फीसदी अफ़ीम डोडा का उत्पादन अफगानिस्तान के तालिबान क्षेत्र में किया जा रहा है।
- रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि इराक, सीरियाई अरब गणराज्यों में सक्रिय इस्लामिक स्टेट एवं अन्य सशस्त्र गुटों द्वारा कैप्टागान **(Captagon)** गोलियों का उत्पादन और उपभोग काफी मात्रा में किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि कैप्टागान गोलियाँ का निर्माण विशेष रूप से कैफीन के साथ एम्फटामिन **(Amphetamine)** मिलाकर किया जाता है। यह समूह इस प्रकार की गोलियाँ के 'विनिर्माण हब' के क्षेत्र में ही अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहा है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि मघरेब क्षेत्र (उत्तरी-पश्चमी अफ्रीकी क्षेत्र) में अल-कायदा भांग और कोकीन की तस्करी कर रहा है और तस्करों को सुरक्षा भी उपलब्ध करा रहा है।

7 साल बाद आबादी में चीन को पछाड़ देगा भारत: यूएन रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रकोष्ठ (Department of Economic and Social Affairs' Population Division) ने एक रिपोर्ट (The World Population Prospects: The 2017 Revision) जारी की| इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत की आबादी लगभग सात वर्षों में चीन से अधिक हो जाएगी| इस रिपोर्ट में विश्व के 233 देशों या क्षेत्रों की आबादी के बारे में जानकारी दी गई है|

- विश्व की मौजूदा जनसंख्या 7.6 अरब है, जो वर्ष 2030 तक बढ़कर 8.6 अरब और वर्ष 2050 तक 9.8 अरब हो जाएगी तथा शताब्दी के अंत तक इसके 11.2 अरब होने का अनुमान जताया गया है।
- वर्ष 1960 के बाद प्रजनन स्तर में धीरे-धीरे कमी होने के बावजूद विश्व में हर साल 8.3 करोड़ आबादी बढ़ रही है और इसके लगातार बढ़ते रहने का अनुमान जताया गया है।
- हालिया वर्षों में पृथ्वी के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रजनन स्तर में कमी हुई है। वर्ष 2050 तक 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों की वैश्विक जनसंख्या दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी।
- ऐसे लोगों की संख्या फिलहाल 96.2 करोड़ है, जो 2050 में 210 करोड़ और 2100 तक 310 करोड़ हो जाएगी।
- यूरोप की कुल आबादी का 25% पहले से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और वर्ष 2050 में इसके 35% तक पहुँचने का अनुमान है| रिपोर्ट में यह अनुमान भी लगाया गया है कि आने वाले दशकों में यूरोप में स्थित देशों की जनसंख्या में कमी आएगी|
- यूरोप का प्रजनन स्तर सबसे कम है, जहाँ हालिया अवधि में प्रति महिला में 1.6 जन्म का अनुमान है, जबकि अफ्रीका में प्रजनन स्तर सबसे अधिक है, जहाँ प्रति महिला 4.7 जन्म का अनुमान है|
- वर्ष 2050 तक नाइजीरिया की आबादी अमेरिका से अधिक हो जाएगी और वह दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। आबादी के मामले में नाइजीरिया वर्तमान में सातवें स्थान पर है|
- वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या वृद्धि का आधा हिस्सा केवल 9 देशों—भारत, नाइजीरिया, कांगो, पाकिस्तान, इथियोपिया, तंजानिया, अमेरिका, युगांडा और इंडोनेशिया में केंद्रित होगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- 47 अल्प-विकसित देशों में जन्म दर अपेक्षाकृत अधिक रहती है और इनमें वार्षिक जनसंख्या में वृद्धि दर 2.4% है। कम प्रजनन के स्तर वाले 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, जापान, वियतनाम, जर्मनी, ईरान, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।
- भारत की आबादी 2030 में करीब 1.5 अरब हो जाएगी और कई दशकों तक बढ़ती रहेगी| वर्ष 2050 में इसके 1.66 अरब तक पहुँचने का अनुमान है, जबकि चीन की आबादी 2030 तक स्थिर रहने के बाद धीमी गति से कम होना शुरू हो जाएगी|
- वर्ष 2050 के बाद भारत की आबादी की रफ्तार स्थिर होने की संभावना है और वर्ष 2100 तक यह 1.5 अरब हो सकती है|

भारत द्वारा किये जा रहे नवीनतम प्रयास

- जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिये भारत सरकार ने देश के सात प्रदेशों में 146 ज़िलों में नई पहल शुरू की है। देश की 28% आबादी इन्हीं ज़िलों में रहती है, ऐसे में सरकार यहाँ परिवार नियोजन सेवाओं को उन्नत बनाने के लिये 'मिशन परिवार विकास' कार्यक्रम शुरू करने जा रही है|
- ये ज़िले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम से हैं, जहाँ प्रति महिला द्वारा जन्मे बच्चों की औसत संख्या (**Total Fertility Rate-TFR)** 3 या उससे अधिक है।
- टीएफआर का सीधा संबंध मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर से है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, लेकिन यह गति राज्यों में असमान है।

ब्रिक्स-मीडिया को बढ़ावा देने के लिये एक मिलियन डॉलर का फंड

ब्राज़ील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) समूह, वैश्विक मीडिया क्षेत्र में अपना विस्तार करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसी के तहत चीन की सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के अध्यक्ष और ब्रिक्स मीडिया फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष ने घोषणा की है कि यह समाचार एजेंसी पाँच देशों वाले इस समूह में मीडिया क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये 1 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी।

- इसका उद्देश्य 'संतुलित रिपोर्टिंग' जैसे उद्देश्यों को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स देश एक वैकल्पिक मीडिया चाहते हैं, जो वाशिंगटन या लंदन के निर्देशों के अनुसार कार्य न करे।
- ब्रिक्स मीडिया फोरम चीन की सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी, ब्राज़ील के सी.एम.ए. ग्रुप, रूस की स्पुतनिक न्यूज़ और रेडियो एजेंसी, भारत के द हिंदू समूह तथा दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र मीडिया का एक संयुक्त उपक्रम है।

ब्रिक्स मीडिया फोरम

- ब्रिक्स मीडिया फोरम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।
- फोरम में ब्रिक्स डिजिटल मीडिया, वित्तीय सूचना सेवाओं और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। फोरम में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि मीडिया का यह कर्त्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह सटीकता, निष्पक्षता और सच्चाई जैसे पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा दे।

ब्रिक्स

- ब्रिक्स (**BRICS)** यह विश्व की 43% जनसंख्या वाली पाँच प्रमुख (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।
- ब्रिक्स देशों की विश्व व्यापार में 30% और विश्व जी.डी.पी. में 17% की भागीदारी है।
- 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) में आयोजित रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद ब्रिक (भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन) का गठन किया गया।
- सितंबर, 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल किया गया, जिसके बाद यह समूह ब्रिक्स के रूप में जाना जाने लगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

WHO ने एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल को संशोधित किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इन एंटीबायोटिक दवाओं को तीन श्रेणियों में बाँटा है। यह श्रेणी निर्दिष्ट करती है कि कौन-सी दवा सामान्य बीमारियों के लिये उपयोग करनी है और कौन-सी जटिल रोगों के लिये।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता को रोकने के लिये डब्ल्यू.एच.ओ. ने दवाइयों को तीन श्रेणियों में बाँटा है – पहुँच (**Access),** निगरानी (**Watch)** और आरक्षित (**Reserve)**।
- आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक्स 'एक्सेस' श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं। एंटीबायोटिकस की दूसरी श्रेणी थोड़ी अधिक शक्तिशाली है, जिसे 'निगरानी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इनमें वे दवाइयाँ शामिल हैं, जिनका उपयोग निम्न स्तर के संक्रमित रोगों के इलाज़ के लिये पहली या दूसरी पसंद के रूप में किया जाता है।
- केवल अंतिम प्रयोग के रूप में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स को 'आरक्षित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।
- डब्ल्यूएचओ ने यह अनुशंसा की है कि 'ऐक्सेस' ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाइयाँ सामान्य संक्रमण वाले रोगों के इलाज़ के लिये हर समय उपलब्ध होनी चाहिये। इसमें एमोक्सिसिलिन (**Amoxicillin)** दवा शामिल है**,** जिसका उपयोग निमोनिया जैसे रोगों के इलाज़ के लिये किया जाता है।
- यह अनिवार्य दवाइयों की सूची (**EML)** 'एंटीबायोटिक्स अनुभाग' में पिछले 40 वर्षों के इतिहास में सबसे बड़ा संशोधन है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation